पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 7 मार्च, 2018

अयोग्य आप विधायकों का वेतन रोका गया : स्पीकर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विधानसभा सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के अयोग्य घोषित किए गए 20 विधायकों का वेतन भुगतान रोक दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इन विधायकों को लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने हाल ही में विधानसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी।

राम निवास गोयल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए 20 विधायकों का वेतन रोक दिया गया है। पूर्व वधायकों का फरवरी माह का वेतन जारी नहीं किया गया है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने इन्हें विधायक के रूप में मिल रही अन्य सुविधाएं भी रोक दी हैं।

मालूम हो कि दिल्ली में हर विधायक को लगभग 90 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन एवं भत्ता मिलता है। अयोग्य घोषित किए गए विधायकों ने चुनाव आयोग की सिफारिश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर गत 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी 2018 को इन विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने चुनाव आयोग को विधानसभा की खाली हुई 20 सीटों पर उपचुनाव की तारीखें घोषित करने जैसी अग्रिम कार्रवाई करने से रोक दिया था।

सिन्धुताई ने हंसते-हंसते बयां किया अपने जीवन का संघर्ष

तीन दिवसीय शक्ति पर्व का शुभारंभ

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आज इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद (आईजीएनसीए) द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शक्ति पर्व का शुभारम्भ सिंधुताई सपकल माई के हाथों हुआ, सिन्धुताई इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं वक्ता थी। तीन दिन तक चलने वाले इस पर्व में व्याख्यान, नाट्य थेरपी कार्यशाला, फिल्म स्क्रीनिंग, नुक्कड़ नाटकए प्रदर्शनियाँ, संगोठियां, नाटक, पुस्तक परिचर्चा, नृत्य एवं संगीत के साथ-साथ हेंडीक्राफ्ट व भोजन स्टाल का आयोजन किया गया है। शक्ति पर्व के पहले दिन डिम्पल कौर द्वारा नाट्य थेरपी कार्यशाला की गयी। अस्मिता थेटर ने प्रसिद्ध रंगकर्मी अरविन्द गौर द्वारा निर्देशित नुक्कड़ नाटक दस्तक प्रस्तुत किया। महिला एवं शिक्षा विषय पर आधारित चर्चा सत्र में प्रो. शशि प्रभा कुमार, डॉ. पंकज मित्तल, डॉ. स्वाति पाल, डॉ. सविता खान, डॉ. श्वेतांशु भूषण ने अपनी विचार व्यक्त किये।

सिन्धुताई ने हँसते-हँसते अपने जीवन के दुखद क्षणों को शक्ति पर्व के उदघाटन सत्र में बयाँ कर रही थीं। सिन्धुताई जब अपने जीवन संघर्ष को बयां कर रही थीं तो तो लग ही नहीं रहा था की ये वही सिन्धु होगी जिसने मुसीबतों से लड़कर खुद को साबित किया। इस वर्ष 8 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा उन्हें स्त्री शक्ति पुरुस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाना है।

20 वर्ष की उम्र में गर्भवती होने के बावजूद पति द्वारा ठुकराए जाने के बाद दर-दर भटकने को मजबूर सिन्धु ने तब ये सोचा भी न था की एक दिन वो न जाने कितने अनाथों की नाथ होंगी।

प्रिंसिपल व भाई की गोली मारकर हत्या

- संपत्ति विवाद में ले ली दोनों की जान, झज्जर में मिला भाई का शव

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली के नजफगढ़ के घुम्मनहेड़ा गांव में स्कूल की प्रिंसिपल और उसके भाई की हत्या कर दी गई है। मृतका की पहचान अनिता यादव के रूप में हुई है। वह 8वीं कक्षा तक का स्कूल चलाती थी। स्कूल की इमारत की दूसरी मंजिल पर रहती थी। हत्या की यह वारदात सोमवार रात 10 बजे हुई है। अनिता के भाई जय किशन का शव मंगलवार तड़के झज्जर के बाढ़सा गांव हरियाणा में मिला है। वह सोमवार सुबह से ही लापता थे। आशंका है कि दोनों की हत्या के पीछे संपत्ति विवाद में रुपयों के लेनदेन को लेकर की गई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अनिता यादव ने नवीन नामक एक शख्स से करीब दो साल पहले जमीन ली थी। उस जमीन को लौटाने के लिए नवीन दबाव बना रहा था। अनिता का कहना था कि जमीन लिए उन्हें जितने दिन हुए, उसके हिसाब से उसकी कीमत मिलने के बाद ही वह उसे वापस करेंगी। इस बात को लेकर नवीन और अनिता के बीच विवाद चल रहा था। आशंका है कि पहले अनिता के भाई की गोली मारकर हत्या की गई इसके बाद देर रात में अनिता को घर में घुसकर दो लोगों ने गोली मार दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमलावरों में अनीता के पति का पूर्व कारोबारी सहयोगी नवीन यादव भी था। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं।

छावला थाने की पुलिस सहित जिले की कई टीम आरोपियों की धड़-पकड़ के लिए छापेमारी कर रही हैं। डीसीपी द्वारका सिबेश सिंह ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अनिता की हत्या दिल्ली में हुई है, लेकिन उसके भाई का शव हरियाणा में मिला है। मृतकों के परिजनों के बयान पर मामला दर्ज करके इस मामले की सभी दृष्टिकोणों से जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में नवीन को संदिग्ध मानकर उसकी तलाश की जा रही है।

मुख्य सचिव मारपीट मामले में आप विधायक से पूछताछ

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित तौर पर हुई मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नितिन त्यागी से सोमवार को पूछताछ की। इस मामले में सत्तारूढ़ पार्टी के और विधायकों को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। कोलकाता में होने की वजह से त्यागी से अब तक पूछताछ नहीं हो पाई थी। उन्होंने शहर की पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए सप्ताह भर का समय मांगा था। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (उत्तर) हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लक्ष्मी नगर के विधायक सोमवार को शाम तीन बजे सिविल लाइन्स थाने में पहुंचे। उनसे करीब तीन घंटे तक पूछताछ हुई। त्यागी की भूमिका इस मामले में जांच के दायरे में है क्योंकि वह 19-20 फरवरी की दरमियानी रात कथित तौर हुई मारपीट की घटना के दौरान मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद थे। घटना के समय मौजूद अन्य विधायक राजेश ऋषि से पिछले सप्ताह पूछताछ हुई थी। पुलिस और भी विधायकों को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाए जाने वाले विधायकों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। कथित मारपीट की घटना के दौरान केजरीवाल के अलावा उनके आवास पर 11 विधायक मौजूद थे। केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी बैठक में उपस्थित थे।

महिला दिवस पर रेप रोको मुहिम में होगी रैली

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के पुरुष स्वयंसेवक रेप रोको अभियान के तहत गुरुवार को बॉक्सर शॉर्ट्स पहन रैली निकालेंगे ताकि कपड़ों को बलात्कार का मुख्य कारण बताने वाले लोगों की बीमार मानसिकता को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जनवरी में आठ माह की बच्ची के साथ बलात्कार की क्रूर घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग(डीसीडब्ल्यू) ने रेप रोको अभियान की शुरुआत की थी। स्वयंसेवक हाथ में बोर्ड और तख्तियां लेकर मंडी हाउस से सेंट्रल पार्क की ओर रैली निकालेंगे, जिनपर कपड़े छोटे नहीं, तुम्हारी मानसिकता छोटी है और आठ माह की बच्ची ने क्या कपड़े पहने थे? लिखा होगा। दिल्ली के भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) और जिला अदालत बार संघ ने अभियान को अपना समर्थन दिया है।

संपत्ति के लिए बेटे ने की मां की हत्या

- पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मेट्रो विहार स्थित एक पब्लिक स्कूल के पास खेतों में मिली अधजली महिला के शव को किसी और ने नहीं बल्कि बेटे ने ही जलाया था। महिला की हत्या संपत्ति को लेकर की गई। बेटी ने मां के शव को पहचाना था। पुलिस ने तहकीकात की। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने पहले घर में मां की गला घोटकर हत्या की, फिर बाइक से खेतों में ले गया, जहां उसने अपने बेटे की मदद से शव को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस आरोपी की पत्नी से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक, महिला का चेहरा और शरीर का काफी हिस्सा जल चुका था। पुलिस को शुरुआती जांच के दौरान किसी करीबी पर शक था। महिला के हाथ की उंगली से एक सोने की अंगूठी मिली थी, जिसको देखकर महिला की बेटी ने पहचान अपनी मां जमुना के रूप में की थी। बेटी ने पुलिस को बताया था कि काफी समय से उसी का भाई अनिल डेढ़ सौ गज के मकान पर कब्जा कर रह रहा है। अनिल के परिवार में उसकी पत्नी और बेटा है। तीनों ही उसकी मां को पसंद नहीं करते थे। पुलिस ने बेटी के शक के आधार पर तफ्तीश शुरू की। अनिल को हिरासत में लिया और पूछताछ की। अनिल ने हत्या करने की बात मानी। जांच में पता चला कि मां मकान के कब्जे को लेकर बात करने आई थी। दोनों में कहासुनी हुई। इस बीच अनिल का बेटा भी वहां पर आ गया। दोनों ने गला घोंटा और फिर रात होने का इंतजार किया। आधी रात को अनिल ने अपनी बाइक से बेटे की मदद से शव को खेत में ले गया। वहां पर मां के शव में आग लगा दी। वारदात के बाद वह आराम से बेटे के साथ घर पर आ गया था।

दिल्ली सरकार लोगों के घर पहुंचाएगी राशन

नई दिल्ली (पीएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में राशन लेने के लिए उचित दर की दुकानों पर लगने वाली लम्बी-लम्बी लाइनों में घंटों खड़ा नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अब उनका राशन उनके घर पर पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार अब इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास मंजूरी के लिए भेजेगी। बैजल से हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में सस्ता राशन लेने वाले लाखों परिवारों के हितों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्‌घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **रेनू गुप्ता, पत्नीः राम निवास गुप्ता, पताः म.न. 170, तीसरी मंजिल, दिपाली, प्रीतमपुरा, दिल्ली, FIR No. 1794/14 u/s 420/407/468/471 IPC पुलिस थाना, मंगोलपुरी, दिल्ली** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया कि उक्त **रेनू गुप्ता** मिल नही रही है और मुझे समाधानप्रद रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है कि **रेनू गुप्ता** फरार हो गई है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है) इसलिए इसके द्वारा उद्‌घोषणा की जाती है कि **FIR No. 1794/14 u/s 420/407/468/471 IPC पुलिस थाना, मंगोलपुरी, दिल्ली** के अभियुक्त **रेनू गुप्ता** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **30.05.2018** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री राकेश कुमार-II
महानगर दंडाधिकारी (उत्तर पश्चिम)
कमरा नं. 105, रोहिणी जिला कोर्ट, दिल्ली

DP/600/OD/18

गाजियाबाद/नोएडा समाचार

विपक्षी पार्षदों ने मेयर और आयुक्त का किया घेराव

गाजियाबाद। नगर निगम के विपक्षी पार्षदों ने गाजियाबाद विकास मंच के बैनर तले मेयरए नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों का घेराव किया। इन पार्षदों की मांग थी कि नगर निगम में हुए घोटालों की जांच कराई जाए। सभी सौ वार्डों में समान रूप से विकास कराया जाए। महापौर और नगर आयुक्त उन्हें 50.50 लाख रूपये का कार्य कराने का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। भाजपा के पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य शुरू भी हो गए हैंए परंतु मेयर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए विपक्षी दलों के पार्षदों के वार्डों में विकास के कार्य नहीं करा रही हैं। नगर आयुक्त का घेराव करने वाले पार्षदों में कांग्रेस, बसपा, सपा और निर्दलीय पार्षद थे। घेराव करने वाले पार्षदों में आनंद चौधरी, मायादेवी, जाकिर अली, सैफी मोहम्मद, कल्याण, मनोज चौधरी, विनोद कुमार, आरिफ मलिक, पार्वती रावत, गजेंद्र देवी, प्रवीण गुर्जर आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। निगम में इस समय 57 पार्षद भाजपा पार्षद अन्य दलों के 43 पार्षद हैं। गाजियाबाद विकास मंच के इस घेराव में 36 पार्षदों का समर्थन हासिल था, जबकि सात पार्षद खामोश हैं। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई तो पार्षदगण फिर से आंदोलन करेंगे।

शराब की 123 दुकानों के लिए नहीं मिला आवेदन

ग़ाज़ियाबाद। जिले की कुल 502 शराब की दुकानों के लिए 6098 लोगों ने आवेदन किए हैं। खास बात यह है कि ये आवेदन केवल 379 दुकानों के लिए ही किए गए हैं। 123 दुकानों के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। अब ये दुकान ख़ाली रह गई है। दूसरे चरण में इन दुकानों के लिए लोग आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बिक्री और बेस्ट लोकेशन वाली दुकानों के लिए अधिक लोगों ने आवेदन किए हैं। अनेक नेताओं ने भी आवेदन किए हैं। बीजेपी के लगभग 479 नेताओं ने आवेदन किए हैं। इनका ड्रा आठ मार्च को प्रस्तावित है। आबकारी निरीक्षक राहुल सिंह ने बताया कि दो चरणों में ड्रा होना है और दूसरा 14 मार्च को प्रस्तावित है।

अब लोनी में ही संपत्तियों के बैनामे

गाजियाबाद। अब लोनी के लोगों को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए शहर में नहीं आना पडेगा। भवन हो या फिर भूखंड। यही नहीं कृषि के अलावा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बैनामे भी अब लोनी में होंगे। लोनी तहसील बनने के बाद योगी सरकार ने लोगों को यह तोहफा दिया है। प्रदेश के महानिरीक्षक स्टाम्प ने जिला प्रशासन को लोनी में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। सहायक आयुक्त स्टाम्प मेवालाल पटेल ने इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक शासन से अनुमति मिलने के साथ ही लोनी में सब.रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए किराए पर उचित स्थान की तलाश शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि सरकार की मंशा है कि लोनी का रजिस्ट्री कार्यालय कारपोरेट लुक में बनाया जाए। सब-रजिस्ट्रार की संख्या दो कर दी जाएगी।

जीडीए मधुबन, बापूधाम में विकसित करेगा औद्योगिक क्षेत्र

गाजियाबाद। जनपद में एक और औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। यह क्षेत्र एनएच 58 पर मधुबन बापूधाम योजना में विकसित किया जाएगा। जीडीए इस औद्योगिक क्षेत्र के छोटे बड़े सभी भूखंडों की बिक्री करने में जुट गया है। औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने से गाजियाबाद में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जीडीए मधुबन बापूधाम योजना में औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहा है। एनएच 58 पर विकसित होने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न आकार के भूखंड हैं। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि यह औद्योगिक क्षेत्र 1,14,476 वर्ग मीटर में विकसित किया जाएगा। 75,674 वर्ग मीटर जमीन पर छोटे बड़े 40 से ज्यादा प्लाट हैं। बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 11,555 वर्गमीटर में पार्क भी विकसित किए जाएंगे। 27,247 वर्ग मीटर जमीन सड़कों के लिए रखी गई है।

वसुंधरा में बनेगा हाईटेक फायर स्टेशन

गाजियाबाद। केमिकल फैक्ट्रियों और गगनचुंबी इमारतों में आग लगने के दौरान अब गाजियाबाद को दिल्ली और नोएडा की दमकल सेवाओं पर निर्भर नहीं रहना होगा। वसुंधरा सेक्टर 8 में आवास विकास परिषद की जमीन पर हाईटेक फायर स्टेशन बनने जा रहा है। यह फायर स्टेशन हाइड्रोलिक प्लेटफार्म और फोम टेंडर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। फायर स्टेशन के लिए करीब तीन हजार वर्गमीटर जमीन आरक्षित करने के बाद अब परिषद इसके निर्माण की रूपरेखा तैयार कर रहा है। वसुंधरा का यह स्टेशन गाजियाबाद का पहला ऐसा फायर स्टेशन होगाए जहां गगनचुंबी इमारतों में होनी वाली घटनाओं के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफार्म मौजूद होगा। इसके साथ ही एडवांस रेस्क्यू टेंडर लोगों की जान बचाएगा।

रंजिश में कार सवार वृद्ध दंपती की गोली मारकर हत्या

नोएडा। दादरी कोतवाली क्षेत्र के चिटहेरा गांव में मंगलवार सुबह गांव से गाजियाबाद लौट रहे कार सवार दंपती को गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई। दोनों को तीन-तीन गोली मारी गई। हत्या का कारण भूमि विवाद में परिवार में चली आ रही पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। मृतक के बेटे ने दो वर्ष पहले चचेरे भाई की हत्या कर दी थी। इस मामले में वह जेल में बंद है। दादरी कोतवाली प्रभारी रामसेन ने बताया कि मूल रूप से चिटहेरा गांव के रहने वाले वेदराम पत्नी नत्थों के साथ गाजियाबाद के लोनी में रहते थे। सोमवार सुबह पति-पत्नी गांव में आयोजित पंचायत में शामिल होने आए थे। पंचायत समाप्त होने के बाद पति पत्नी अपनी कार में लोनी लौट रहे थे। वेदराम कार चला रहे थे जबकि नत्थो पिछली सीट पर बैठी थी। जैसे ही वेदराम गांव से करीब दस मीटर की दूरी पर पहुंचे, तभी रास्ते में गांव के एक व्यक्ति से बात करने लगे। इस बीच स्कूटी पर सवार दो लोग वहां पहुंचे। उन्होंने स्कूटी कार के सामने लगाई और कार पर गोलीबारी शुरू कर दी। जब तक दंपती कुछ समझ पाते इससे पहले ही आरोपियों ने दोनों को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। गोलियों की आवाज सुनकर जब तक ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को कार से निकालकर दादरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डाक्टरों की टीम ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन में हडकंप मच गया। एसपी देहात सुनीति व सीओ दादरी निशांक ने मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली। फोरेंसिक विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच नमूने एकत्रित किए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाई की हत्या बदला लेने के लिए जान ली दादरी के चिटहरा गांव में दंपति की हत्या का आरोप उनके भतीजे पर लगा है। दंपति के बेटे ने आरोपी के भाई की हत्या कर दी था जिसका बदला लेने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। दोनों पक्षों के बीच विवाद का कारण अविवाहित भाई की संपत्ति है। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक वेदराम के भाई राजे की शादी नहीं हुई है। राजे के हिस्से की घर की संपत्ति पर वेदराम और उसका भाई हेतराम दोनों के बच्चे अपना हक जता रहे हैं जबकि राजे पहले ही अपने हिस्से की संपत्ति हेतराम के लड़के साहब सिंह के नाम कर चुका है। इसको लेकर दोनों पक्षों में अक्सर विवाद रहता था।

सामूहिक विवाह धांधली में तीन गिरफ्तार

नोएडा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली करने के आरोपियों में से ग्राम प्रधान चीती के पति सहित तीन लोगों को दनकौर कोतवाली पुलिस ने सोमवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को तीनों आरोपियों को जिला न्यायालय में हाजिर किया गया। न्यायालय ने तीनों को जेल भेज दिया। इस मामले में अभी कई आरोपी फरार हैं। जिला प्रशासन ने वाईएमसीए क्लब में 24 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 66 जोड़ों का विवाह कराया था। चीती गांव निवासी नरेंद्र सिंह उर्फ नंदू ने सोमवार को जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए गांव में कुछ शादीशुदा जोड़ों ने शादी की है। इसके बाद जिलाधिकारी ने बैठक की और सीडीओ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर जांच सौंप दी। इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी आनंद कुमार ने इस मामले में सोमवार की देर रात सविता, नवीन निवासी नगला, बबीता, रविंदर निवासी नगला, लक्ष्मी, सविंदर निवासी जीती व निशु, विनीत निवासी नगला सहित चीती गांव की ग्राम प्रधान बबीता भाटी और प्रधान पति धर्मेंद्र भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों पर सामूहिक विवाह योजना में धोखाधड़ी कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप है। दनकौर पुलिस ने इस मामले में आरोपी ग्राम प्रधान बबीता भाटी के पति धर्मेंद्र भाटी, रविंदर और विनीत को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार की दोपहर बाद न्यायालय में हाजिर किया। अभी दो आरोपी फरार हैं। फर्जीवाड़ा करने वाले नवीन निवासी नगला और सुखविंदर निवासी जीती फरार हैं। इन दोनों की माली हालत भी गांव में काफी ठीकठाक है।

जीआइपी मॉल के निदेशकों पर केस दर्ज करने का आदेश

नोएडा। फर्जी कागजात के आधार पर 54 लाख रुपये हड़पने के मामले में कोर्ट ने जीआइपी मॉल इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एक्यूसमेंट लिमिटेड के 15 निदेशकों समेत दो अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली सेक्टर 49 पुलिस को केस दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर ही जांच रिपोर्ट मांगी है। पीडित मुकेश शर्मा सेक्टर 50 स्थित महागुन मोर्फियस सोसायटी के फ्लैट नंबर 804 में रहते है। वह सॉफ्टवेयर डेवलमेंट कंपनी चलाते है। कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र के अनुसार, पीड़ित रेंट पर प्रॉपर्टी लेने के लिए जगह खोज रहे थे। इस दौरान उन्होंने अप्पू घर सेक्टर 38 ए स्थित जीआइपी मॉल की सेल्स टीम से संपर्क किया। सेल्स टीम ने मुकेश के सेक्टर 50 स्थित घर पर आकर स्कीम बताई की जीआइपी मॉल के तर्ज पर ही उनकी कंपनी इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एक्यूजमेंट लिमिटेड सेक्टर 29 गुरुग्राम में भी अप्पू घर बनाएगी।

आस्ति की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : दानी कार्पोरेट पार्क, 5वां तल, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रूज (पू), मुंबई-400098
फोन : 022-6741 2314, फैक्स : 022-6741 2313, सीआईएन : यू67190एमएच2007पीटीसी168303 ई-मेल : info@.phoenixarc.co.in
वेबसाइट : www.phoenixarc.co.in अधिक विवरण के लिए देखें : www.facebook.com/phoenixarcpvtltd

ऑनलाइन ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) के प्रावधानों के निबन्धनों में)

एतद्‌द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि फीनिक्स ट्रस्ट-एफवाई14-10 (फीनिक्स) के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए (कैथोलिक सीरियन बैंक द्वारा समनुदेशन अनुबंध दिनांक 31-12-2013 के माध्यम से फीनिक्स के पक्ष में ऋणों के समनुदेशन के अनुसरण में) फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को बंधक की गई निम्नलिखित सम्पत्ति नीचे दिए विवरण के अनुसार बकाया तथा आगे ब्याज, प्रभार तथा लागतों इत्यादि की वसूली के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) के प्रावधानों के तहत वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" द्वारा "जैसी है जहां है तथा जैसी है जो भी है आधार" जाएगी।

कर्जदार का नाम	कर्जदार का नामफैन्टैसी ट्रैवल्स ऐण्ड टूअर्स प्राइवेट लिमिटेड 208-209, मधुबन बिल्डिंग, 55, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
गारंटर का नाम	(1) श्री शैलेन्द्र कुमार (2) सोनिया कुमार पुन्न (3) स्व. श्री राजिन्दर कुमार, उनके कानूनी वारिसों के माध्यम से (क) श्रीमती उमा वती (पत्नी) (ख) श्री शैलेन्द कुमार (पुत्र) (ग) श्री श्रीकान्त पुन्न (पुत्र) (घ) श्रीमती दीप्ति मल्होत्रा (पुत्री)
24-06-2013 तक बकाया राशि	दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक रू. 12,19,57,548/- (रूपए बारह करोड़ उन्नीस लाख सत्तावन हजार पांच सौ अड़तालीस मात्र) आगे 01 अक्टूबर, 2017 से भुगतान/वसूली की तिथि तक, मासिक चक्रवृद्धि 15.25 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज तथा 1 प्रतिशत वार्षिक दंड ब्याज मय लागत, प्रभार एवं खर्चे।
सरफासी ऐक्ट के तहत भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया	12-02-2018
निरीक्षण की तिथि	23-03-2018 (तेईस मार्च दो हजार अठारह) (शुक्रवार) - पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे के बीच
धरोहर राशि जमा	रू. 46,00,000/- (रूपए छियालीस लाख मात्र) "फीनिक्स ट्रस्ट-एफवाई14-10 के पक्ष में आरटीजीएस द्वारा जमा करनी होगी, चालू खाता : 9811374676 ; कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, शाखा : कलीना, मुंबई, आईएफएससी कोड : केकेबीके0000631
बिड (ई-नीलामी) जमा करने की अंतिम तिथि	16-04-2018 (सोलह अप्रैल दो हजार अठारह) (सोमवार) - बैंक का कार्य समय समाप्त होने से पहले
सुरक्षित मूल्य	रू. 4,60,00,000/-. (रूपए चार करोड़ साठ लाख मात्र)
बिड वृद्धि	रू. 5,00,000/- एवं ऐसे गुणज
ई-नीलामी की तिथि	17-04-2018 (सत्रह अप्रैल दो हजार अठारह) (मंगलवार) - पूर्वा. 11 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच
ई-नीलामी की विधि	ऑनलाइन ई-नीलामी
नीलाम की जा रही प्रतिभूत आस्ति का वर्णन	स्व. श्री राजिन्दर कुमार की सम्पत्ति (अब उनके कानूनी वारिसों श्रीमती उमा वती, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री श्रीकान्त पुन्न तथा श्रीमती दीप्ति मल्होत्रा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है) : ग्रेटर कैलाश, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 में 207 वर्ग गज के भूखंड पर निर्मित सम्पत्ति सं. एस-257 में सम्पूर्ण प्रथम तल, द्वितीय तल छत के अधिकार के साथ, भवन के नीचे भूमि में यथानुपात अधिकार सहित। चौहद्दी -- उत्तर : रोड, दक्षिण : एस रोड, पूरब : मकान नंबर एस-261, पश्चिम : एस-255

नियम एवं शर्तें :

1. नीलामी बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफासी ऐक्ट के प्रावधानों के तहत ई-नीलामी की सहायता और माध्यम से संचालित की जा रही है। नीलामी/बोलीदान वेबसाइट **http://www.bankeauctions.com** के माध्यम से केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक विधि" से किया जाएगा। मै. सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म की व्यवस्था हेतु सेवा प्रदाता है।
2. नीलामी बोली दस्तावेज के नियम एवं शर्तों तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी। बोलीदाता बोली दस्तावेज, नीलाम की जा रही प्रतिभूत आस्ति के विस्तृत विवरण/बोली प्रपत्र प्राप्त करने के लिए फीनिक्स की वेबसाइट **www.phoenixarc.co.in** तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट **www.bankeauctions.com** देखें।
3. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान/अपने स्वयं के कार्यालय से ई-नीलामी उद्धृत करते हुए/बोली लगाते हुए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक बोलीदाता को इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्राधिकृत अधिकारी/फीनिक्स/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश डाउन, बिजली की गड़बड़ी इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. संभावित बोलीदाता विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई-नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क नम्बर : 91-120-4888888, 91-124-4302000, 09821690968, ई-मेल आईडी : **support@bankeauctions.com** पर सम्पर्क करें।
5. बोलीदाता नीलामी के लिए रखी गई प्रतिभूत आस्ति के विवरण के सत्यापन के लिए/बिड फार्म प्राप्त करने के लिए फीनिक्स की वेबसाइट **www.phoenixarc.co.in** देखें।
6. ई-नीलामी यहां ऊपर दी गई तिथि एवं समय पर संचालित की जाएगी, जब उपरिवर्णित प्रतिभूति आस्ति "जैसा है जहां है" आधार और "जैसा है जो भी है" शर्त पर बेची जाएगी।
7. सभी इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को उपरोक्त तिथि एवं समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए उपरिवर्णित पोर्टल **https;//www.bankeauctions.com** में अपना नाम पंजीकृत करवाना और यूजर आईडी तथा पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा।
8. सभी इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए प्रतिभूत आस्ति के सुरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत की प्रतिदेय धरोहर राशि जमा के भुगतान का विवरण पैनकार्ड, कम्पनी के मामले में बोर्ड प्रस्ताव और पता प्रमाण की प्रतियों सहित दिनांक 12-04-2018 को अथवा पूर्व जमा करना होगा।
9. सफल क्रेता/बोलीदाता को अपनी बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) यहां ऊपर वर्णित खाते में आरटीजीएस द्वारा दिनांक 13-04-2018 अर्थात नीलामी की तिथि को अथवा पूर्व जमा करनी होगी, जिसकी पुष्टि फीनिक्स द्वारा की जाएगी तथा किसी चूक की स्थिति में बिक्री अमान्य करार दी जाएगी और उक्त सफल क्रेता/बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
10. ई-नीलामी में सफल नहीं होने वाले अन्य बोलीदाताओं की ईएमडी फीनिक्स द्वारा ई-नीलामी समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
11. सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा क्रय राशि की देय शेष राशि उक्त प्रतिभूत आस्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन अथवा लिखित सहमति द्वारा आगे बढ़ाई गई अवधि के भीतर जमा करनी होगी। किसी चूक की स्थिति में, उस समय तक जमा की गई सभी राशियां जब्त कर ली जाएंगी।
12. संभावित बोलीदाता, सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए और अधिक विवरण के लिए सुश्री गुरलीन छाबड़ा/श्री अजित केविन से उपरोक्त पते पर अथवा **gurleen.chhabra@phoenixarc.co.in/ajit.kewin@phoenixarc.co.in** (ईमेल) पर अथवा 0916790326/09619866780 (मोबा.) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
13. अपनी बोली देने से पूर्व, प्रतिभूत आस्ति ऋणभार, नीलामी हेतु सम्पत्ति का स्वामित्व तथा प्रतिभूत ास्थित कि बारे में दावों/अधिकारों/बकाया, जिसमें सांविधिक बकाया तथा विनिर्देश शामिल हैं, के बारे में निरीक्षण, सत्यापन तथा संतुष्टि करना एकमात्र रूप से इच्छुक बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी।
14. समाचार पत्र में प्रकाशित नीलामी सूचना में विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी के सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा ज्ञान के अनुसार वर्णित किए गए हैं, तथापि अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत विवरण अथवा विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
15. नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी, बिना कोई पूर्व सूचना दिए तथा बिना कोई कारण बताए, बोली/ऑफर स्वीकार/अस्वीकार /संशोधित/निरस्त कर सकते हैं अथवा नीलामी प्रास्थगित कर सकते हैं।
16. सफल क्रेता/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार सांविधिक देयताएं. कर. देय शुल्क. स्टाम्प ड्यूटी. रजिस्ट्रेशन शुल्क. इत्यादि वहन करने होंगे जो लागू कानून के अनुसार उसके पक्ष में सम्पत्ति हस्तांतरण के लिए भुगतान किए जाने हेतु अपेक्षित हैं।
17. कर्जदार/गारंटर, जो उक्त बकाया राशियां चुकाने हेतु उत्तरदायी हैं, इस बिक्री सूचना को उपरोक्त नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8(6) के तहत सूचना मानेंगे।
18. यदि उपरोक्त निर्धारित नीलामी किसी भी कारणवश असफल रहती है, तो फीनिक्स को सरफासी ऐक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत प्राइवेट ट्रीटी द्वारा इस सूचना के माध्यम से नीलामी के ति प्रतिभूत आस्ति बेचने का अधिकार होगा।

हस्ता. /-
प्राधिकृत अधिकारी,
फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड, फीनिक्स ट्रस्ट-एफवाई14-10

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 07-03-2018

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा द्वितीय तल-लिंक हाउस, 3 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002. से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादकः चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादकः उषा श्रीवास्तव। दूरभाष नंबरः (011) 40754100, 23755271-74 -पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।